




हुकम या कार्यावाही मय इतिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तामिल  
में जारी हुए।

24.10.19 फरमाती देवी / वकील उर्फ  
 वरुण उर्फ। वाडिया की शरण की  
 सूचना दि. 5.12.2017 को प्राप्त  
 से गई थी, किन्तु आज दिनांक  
 तक वाडिया वकील द्वारा आपाल  
 के आदेश के उपरान्त भी वाडिया  
 के वकील को वाडिया के काम  
 सुनाया नहीं कराया गया है।  
 अतः फरमाती उर्फ वकील  
 में खारिज की जानी है फरमाती  
 के पक्ष में हाक इतिशियल्स जज (उ)

आदेश सुनाया गया।

  
 [Signature]